वित्तीय स्वीकृति

संख्या-29/2018/54/52-4-18-1(बजट)/18

प्रेषक,

दीनानाथ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 31 मई, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-80/52-4-18-सा(35)/2016 दिनांक 25.01.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-1/2018बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-74,00,00,000/- का 50 प्रतिशत रू0-37,00,00,000/- (रू0 सैंतिस करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा ।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं को ही धनराशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा । किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा ।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0-1941/52-3-16-सा(35)/2016, दिनांक 29.06.2016, सं0-2021/52-3-16-सा(35)/2016, दिनांक 29.07.2016 एवं सं0-80/52-4-18-सा(35)/2016, दिनांक 25.01.2018 में निर्गत दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत अन्य नियमों/शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा ।

(4) आवेदकों का चयन निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को प्रत्येक 04 माह पर तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र माह मार्च, 2019 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(6) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0304-अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(दीनानाथ)
उप सचिव।

<u>संख्या-54(1)/52-4-2018</u>तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/,द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4- कोषाधिकारी, जवाहन भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
6- रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in